RC
SE

State Initiative for Quality Education: Adarsh vidhyalaya

'सब बच्चे सीख सकते और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं'

एस आई क्यू ई
कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष पठन सामग्री

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

समन्वित कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

राज्य सरकार ने सत्र 2015–16 से सतत एवं व्यापक आकलन व बाल केन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया को आदर्श विद्यालयों की 1–5 कक्षाओं में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत इस वर्ष होने वाले शिक्षक प्रशिक्षणों में समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के साथ अध्यापन करवाने वाले शिक्षको कों स्टेट इनीसियटिव फॉर क्वालिटि एजुकेशन कार्यक्रम को समझना आवश्यक है। अतः यह नोट समन्वित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए है। दक्ष प्रशिक्षु इस अवधारणा पत्र पर समन्वित विद्यालयों के शिक्षकों के साथ बातचीत करे और कार्यक्रम को समझाने का प्रयास करे।

आदर्श विद्यालयों की स्थापना के पीछे राज्य सरकार का सपना है प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु गुणवत्ता संस्थान उपलब्ध कराना। इस प्रयास के पीछे राज्य सरकार का विश्वास है कि **"सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं।"**

इन आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने यूनिसेफ और बोध शिक्षा समिति जयपुर के साथ एक एम ओ यू किया है। इस एम ओ यू के तहत राज्य के सभी आदर्श विद्यालयों में चरणवार रूप में कक्षा 1 से 8 में गतिविधि आधारित शिक्षण एवं व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन का एक समन्वित कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

अकादमिक वर्ष 2015–16 में कक्षा 1 से 5 तक यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। जिन विद्यालयों में पूर्व में कक्षा 6 से 8 में यह कार्यक्रम संचालित है उनमें यह यथा स्वरूप में संचालित किया जाता रहेगा।

यह समन्वित कार्यक्रम राज्य के 22000 प्राथमिक विद्यालयों में क्रियान्वयन के अनुभवों पर आधारित है। वर्ष 2010 में 60 विद्यालयों में प्रारम्भ किए गए पायलट प्रोजेक्ट से वर्ष 2014–15 तक 22000 विद्यालयों में विस्तार एवं क्रियान्वयन के सकारात्मक परिणाम उभर कर आए हैं।

- गतिविधि आधारित शिक्षण एवं व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन लागू करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार नज़र आने लगा है।
- शिक्षकों का कक्षा–कक्ष में गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया अपनाने के प्रति रूझान बढ़ा है।
- शिक्षक बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप शिक्षण–अधिगम योजना बनाने का प्रयास करने लगे हैं।
- कक्षा–कक्ष में सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चो की शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज किया जाने लगा है।
- बच्चो के कक्षा–कार्य एवं प्रयासों का संकलन कर प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो संधारित किया जाने लगा है।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष बच्चो की प्रगति का आकलन नियमित रूप से दर्ज किया जाने लगा है।
- शिक्षक महसूस करने लगे हैं कि वे अब बच्चो के शैक्षिक स्तर के बारे में पहले से अधिक सटीक दृष्टि रख पाते हैं।
- बच्चो की कक्षा–कक्ष में सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं के दौरान भागीदारी पहले से अधिक बढ़ी है तथा अब बच्चों को पहले से अधिक रिफ्लेटिव कार्य करने के अवसर मिलने लगे हैं।

एम ओ यू प्रारम्भ में वर्ष 2015 से 2018 तक के लिए है जिसके अंतर्गत अकादमिक वर्ष 2015–16 में कक्षा 1 से 5 के अनुभवों के आधार पर आगामी वर्षों में इसे आदर्श विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में भी लागू किया जाएगा।

आदर्श विद्यालयों में यह समन्वित कार्यक्रमः गुणवत्ता शिक्षा की ओर ठोस कदम

यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह समन्वित कार्यक्रम आदर्श विद्यालयों में क्यों लागू किया जा रहा है। इस प्रश्न पर प्रतिक्रियाएं इस प्रकार समझी जा सकती हैं:

- किसी भी गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम के सफल एवं सहज संचालन के लिए आवश्यक है स्थानीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व की उपलब्धता। आदर्श विद्यालय में प्रधानाचार्य जैसे वरिष्ठ पद के नेतृत्व की उपलब्धता कार्यक्रम की सफलता की संभावना के प्रतिशत को बढ़ा देता है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है बेहतर आधारभूत संरचना का होना। आदर्श विद्यालयों में अन्य विद्यालयों से बेहतर आधारभूत सुविधाएं जैसे पर्याप्त कक्षा–कक्ष, पर्याप्त मानवीय संसाधन, पर्याप्त विद्यालय संचालन सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में आगामी वर्षों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी।
- आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय में होने के कारण बच्चों और शिक्षकों दोनों की सहज पहुंच में है। विद्यालय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन एवं सुविधाओं की उपलब्धता की संभावनाएं अधिक हैं।
- आदर्श विद्यालय की स्थापना के मूल में यह उद्देश्य निहित है कि आस–पास के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षिक नेतृत्व एवं संबलन देने वाले विद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हो। आदर्श विद्यालय अन्य विद्यालयों को शैक्षिक नेतृत्व एवं संबलन देने का कार्य तब ही कर सकता है जब कि वहां के बच्चों का शैक्षिक स्तर तथा कक्षा–कक्ष की सीखने–सिखाने की प्रक्रियाएं गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ तथा अपेक्षित स्तर के अनुरूप हों।
- आदर्श विद्यालय में उच्च कक्षाओं में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता की संभावना अन्य विद्यालयों की तुलना में अधिक है, इससे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को विद्यालय में ही संबलन एवं सहयोग मिलने की संभावना एवं अवसर बढ़ जाते हैं।
- यदि आदर्श विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं में समन्वित कार्यक्रम लागू किया जाता है तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के शैक्षिक स्तर में तुलनात्मक रूप से वृद्धि होगी एवं माध्यमिक कक्षाओं में आने वाले बच्चे अपेक्षित शैक्षिक स्तर के होंगे। ऐसी स्थिति में माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की अध्ययन में रूचि बढ़ेगी एवं बच्चों का ठहराव माध्यमिक कक्षाओं में बढ़ेगा।
- आदर्श विद्यालयों में इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी संबलन मिल पायेगा।
- इस कार्यक्रम के सफल संचालन, मॉनिटरिंग व संबलन के लिए राज्य व जिले पर सशक्त समूह का निर्माण किया जायेगा तथा सतत एवं व्यापक आकलन तथा बाल केन्द्रित शिक्षण विधा को केन्द्र में रख कर कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा, जिससे कक्षा–कक्षीय प्रक्रियाओं में बदलाव आ सकेगा।

आशा है आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि गुणवत्ता की दृष्टि से आदर्श विद्यालयों में समन्वित कार्यक्रम को लागू किया जाना कितना आवश्यक है। यह कार्यक्रम शिक्षा में बदलाव लिए महत्वपूर्ण कदम है।

गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एव सतत् मूल्यांकनः एक समन्वित कार्यक्रम

बाल केन्द्रित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति और सतत एवं व्यापक आकलन इस कार्यक्रम के प्रमुख आधार हैं। ये दोनों पक्ष आपसी रूप से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे के बिना पूर्ण रूप से साकार भी नहीं किये जा सकते हैं। अगर इसे सरलतम रूप में देखें तो हर बच्चे को जाने बिना उसकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य कराना संभव नहीं होगा। ये बालकेन्द्रित शिक्षण के लिए आवश्यक शर्त है। अगर ये पक्ष नहीं हों तो हम स्कूलों में अन्य कितने भी परिवर्तन कर लें सही मायने में कक्षा कक्षों को बाल केन्द्रित नहीं बना सकेंगे। इसी समग्रता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में इनके आपसी संबंधित पक्षों को देखना अनिवार्य होगा।

गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन सीखने–सिखाने की ऐसी समन्वित प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर, गति एवं रूचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण एवं आकलन का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक कक्षा–कक्ष में प्रवेश से पूर्व शिक्षण–अधिगम की व्यापक एवं सतत् कार्य योजना बना लेता है तथा उसी के आधार पर विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति का व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन करता है। इस समन्वित प्रक्रिया की मूल मान्यताएं हैं –

- सभी बच्चे सीख सकते है– सामान्य स्तर का बालक अपनी आयु के अनुसार सभी बातों को सीख सकता है, यदि कोई मानसिक बीमारी न हो।
- सीखने–सीखाने की प्रक्रिया में बच्चे के अनुसार परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, तभी वांछनीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे सीखाने के तरीकों के प्रति सजग रहने की जरूरत है।
- हमारे सिखाने के तरीकों में और आकलन में सीधा जुड़ाव गुणवत्ता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ यह स्पष्ट है कि ***सतत रूप से आकलन करते हुए, हर बच्चे का ध्यान रखते हुए शिक्षण किया जाये और आकलन के आधार आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव करते हुए आगे बढ़ा जाये।***

समन्वित कार्यक्रम के उद्देश्य

गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया के स्वरूप एवं इसके मूल में कुछ मान्यताओं व कक्षा 1–5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आदर्श उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में गुणात्मक बदलाव के लिए सत्र 2015–16 से सघन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ, बोध शिक्षा समिति, एसआईआरटी उदयपुर एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के मध्य "State Initiative for Quality Education" के नाम से एक एमओयू हुआ है। यह कार्यक्रम कुछ स्पष्ट उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ेगा। ये उद्देश्य निम्न हैं–

- राज्य के आद र्श विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 एवं 1 से 12) में आरंभिक स्तर से ही विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु बाल केन्द्रित शिक्षण विधा (सी.सी.पी) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई) की समन्वित एप्रोच द्वारा सीखने के स्तर/उपलब्धि स्तर में सतत् सुधार करते हुए भौक्षिक प्रगति सुनिश्चित करना।
- सभी बच्चों का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना–आदर्श विद्यालय के कैचमेन्ट में स्थित सभी बच्चों का नामांकन हो, हर नामांकित बच्चे के लिए विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक की शिक्षा सुनिश्चित करना।
- राज्य के आद र्श विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों की नेतृत्व क्षमता एवं भौक्षणिक क्षमता को सुदृढ़ करते हुए समन्वित भौक्षिक विकास को सुनिश्चित करना।
- जिले के अन्य विद्यालयों के सपोर्ट एवं सम्बलन हेतु इन आद र्श विद्यालयों को "संदर्भ विद्यालय"(Resource School) के रूप में प्रभावी रूप से विकसित करना
- प्रत्येक आद र्श विद्यालय में स क्त नेतृत्व क्षमता को उभार कर "सेन्टर फॉर एक्सिलेन्स" की स्थापना करना।

समन्वित कार्यक्रम एवं आदर्श विद्यालय में कक्षा–कक्ष एवं आकलन का स्वरूप

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आदर्श विद्यालय की संकल्पना में कक्षा कक्ष के स्वरूप मे बदलाव हेतु निम्न प्रक्रियाएँ अपनानी होंगी।

- प्रत्येक बच्चे को महत्वपूर्ण मानते हुए विद्यालय में बालमित्र वातावरण का निर्माण करे।
- शिक्षक, पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण योजना बनाये एवं सतत आकलन के आधार पर शिक्षण में सतत बदलाव करे।

- योजना का निमार्ण अपेक्षित दक्षताओं को समग्र रूप से विकसित करने हेतु करे।
- पाक्षिक शिक्षण योजना में सम्पूर्ण कक्षा, मिश्रित क्षमता एवं व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार गतिविधियों का नियोजन करे।
- शिक्षक योजना अनुसार निर्धारित टर्म के भाग/खण्ड–एक पर शिक्षण करते हुए ; अवलोकन–अभिलेखन, चैकलिस्ट, पोर्टफोलियो, होमवर्क, कार्यपत्रक, बातचीत एवं प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम का **सतत आकलन** करे।
- इस आकलन प्रक्रिया से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिणामों के बारे में निरंतर प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर बच्चों के समूहों/उपसमूहों के शिक्षण हेतु **पाक्षिक योजना** बनाते हुए कार्य किया जाना अपेक्षित है। कार्य के दौरान किए गए आकलन के आधार पर **समीक्षा** करते हुए योजना में आवश्यकतानुसार मध्यवर्ती परिवर्तन करेंगे।
- निश्चित अवधि के अंत में संबंधित अधिगम लक्ष्यों में उपलब्धि (performance) के स्तर का मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन - Summative Evaluation है।

(प्रक्रिया एवं प्रयुक्त सामग्री– गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन कार्य की प्रक्रिया व प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री वर्तमान में संचालित सीसीई कार्यक्रम के अनुसार ही है। अतः इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सीसीई कार्यक्रम के दस्तावेजों से प्राप्त करे।)

समन्वित कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका

आदर्श विद्यालयों के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक को अपने दायित्व निर्वाह के लिए चार काम नियमित रूप से करनें होंगे। पहला, यह सुनिश्चित करना कि कक्षा में शिक्षण के लिए बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण–अधिगम योजना बनाना, दूसरा यह देखना कि बच्चों ने क्या वो सीखा है जो कि उन्हें सीखना चाहिए? तीसरा, उनके सीखने की प्रगति क्या है? और चौथा, उनकी सतत उपलब्धि क्या है? इन चारों कामों में शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वहः–

- देखे कि बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है? कक्षा में बच्चों के समूह किस प्रकार बन सकते हैं? किस बच्चे को किस समूह में रखा जाना है? बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना किस तरह की हो कि प्रत्येक बच्चे को सीखने के समान अवसर उपलब्ध हों और वो अपनी योग्यता के अनुरूप सीख सके और अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सके। इसके लिए आवश्यक है शिक्षक बालक के शैक्षिक स्तर पहचान के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ/ प्रश्न पत्र बनाएं कि बच्चों के सही स्तर की पहचान हो सके। यह ध्यान रहे कि बच्चों के सही स्तरों की पहचान करना अति आवश्यक है।
- देखें कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। यानि बच्चों के सीखने के तरीके क्या हैं? उनमें क्या किसी बदलाव की संभावना है? शिक्षक इन बातों को अपनी डायरी में अपने अनुसार लिख लें ताकि बाद में उस बच्चे के बारे में लिखते समय यह टिप्पणी काम आ सके। क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी बातों को याद रखना संभव नहीं है। अतः शिक्षक को स्वयं की मदद के लिए यह दर्ज करते रहना चाहिए।
- शिक्षक यह देखें कि जो विषय वस्तु बच्चे को सीखनी थी वो सीखी या नहीं, जिससे दर्ज किया जा सकता है। कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह काम बच्चे के द्वारा किए गए विभिन्न तरह के कार्यों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। यह काम हैं :– बच्चों का कक्षा कार्य या गृह कार्य, बच्चों द्वारा अभ्यास पत्रक पर किया गया कार्य, बच्चों द्वारा **समूह पत्र पर** किया गया कार्य, बच्चों के द्वारा गतिविधियों के दौरान की गई टिप्पणियाँ।
- एक विषय के शिक्षक को दूसरे विषय के शिक्षक से नियमित रूप से चर्चा करनी है और बच्चों की अन्य विषयों में प्रगति को भी देखना है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें यह जानना आवश्यक है कि बच्चों का रुझान क्या है और उनके साथ किस प्रकार के काम किए जाने की आवश्यकता है।

- बच्चों के कक्षा कालांश के पश्चात् शिविरा पंचाग के अनुरूप बच्चों की शिक्षण योजना एवं आकलन दर्ज करने का कार्य करें। इस समय शिक्षक बच्चों को सीखने में भागीदार बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं और उन गतिविधियों के अनुरूप आवश्यक शिक्षण– अधिगम सामग्री बना सकते हैं या एकत्रित कर सकते हैं। यह वह समय होगा जब शिक्षक दिनभर के अपने कार्य पर चिंतन एवं मनन कर आगामी दिवस की कार्य योजना पर कार्य करेंगे। शिक्षण कालांश के दौरान (अर्थात चलती कक्षा में) बच्चों का आकलन दर्ज़ करने के लिए समय नहीं लगाया जाएगा। **स्पष्ट है शिक्षण कालांश के समय कोई भी शिक्षक फॉर्मेट इत्यादि भरने का कार्य नहीं करेंगे।**

समन्वित कार्यक्रम के संदर्भ में प्रधानाचार्य की भूमिका

1. विद्यालय स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था करना। गुणवत्ता से संबंधित राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 में एक शिक्षक द्वारा एक विषय का ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करे।
2. विद्यालय में गतिविधि आधारित कार्यक्रम तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार कक्षा की शैक्षिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करना।प्रधानाचार्य शिक्षकों का उत्साहवर्धन करे और उन्हें समय–समय पर बताते रहे कि विद्यालय प्रशासन उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।
3. प्रधानाचार्य नियमित रूप से कक्षा–अवलोकन करे एवं प्रथमदृष्टया बच्चों की शैक्षिक प्रगति एवं शिक्षण प्रक्रिया का नियमित अवलोकन करें।
4. अवलोकन के पश्चात् ही प्रधानाचार्य नियमित रूप से प्रत्येक कक्षा के शिक्षक से पृथक–पृथक एवं सामूहिक संवाद करे और यह समझे की कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया और बच्चों के शैक्षिक स्तर में प्रगति की क्या स्थिति है। शिक्षकों को कक्षा–कक्ष में कार्य करने के दौरान किस तरह की चुनौतियां महसूस हो रही है।
5. प्रधानाचार्य यहां स्पष्ट समझ लें कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया संचालित करने का अर्थ फॉर्मेट भरना नहीं है। बच्चों की शैक्षिक प्रगति प्रथम एवं अंतिम उद्देश्य है। अतः कक्षा अवलोकन में पहले कक्षा–कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का वातावरण, बच्चों की भागीदारी तथा उनकी शैक्षिक प्रगति का अवलोकन करें और उसके बाद यह देखें की शिक्षक ने क्या तैयारी की थी? बच्चों की प्रगति को पाठ्यक्रम के अनुरूप सही दर्ज़ किया है? बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण योजना में बच्चों के शैक्षिक स्तर तथा पाठ्यस्तर के अनुरूप गतिविधियां शामिल की गई हैं?
6. प्रधानाचार्य प्रत्येक माह कम से कम एक बार कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कराने वाले सभी शिक्षकों के साथ औपचारिक बैठक करें एवं कार्य प्रगति की समीक्षा करें।
7. शिक्षकों को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक तरह की चुनौतियां आती हैं तथा प्रतिदिन नवीन अनुभव मिलते हैं अतः आवश्यक है कि शिक्षक को नियमित रूप से सहयोग एवं समीक्षा का अवसर मिले। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक शिक्षक प्रतिमाह होने वाली क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार मासिक कार्यशाला में भाग ले।
8. प्रधानाचार्य शिक्षकों से संवाद कर यह सुनिश्चित करे मासिक कार्यशाला में जाने वाले शिक्षक कार्यशाला के लिए तैयारी करके जाएं। इसके लिए शिक्षकों के पास अपने प्रश्न एवं अनुभव होने चाहिए। शिक्षक कार्यशाला में कम से कम दो या तीन बच्चों की संबंधित विषय की समस्त सामग्री लेकर जाए।
9. प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे की कक्षा 1 से 5 तक गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री/स्टेशनरी शिक्षक के पास उपलब्ध है एवं उस सामग्री का समुचित उपयोग कक्षा में किया जा रहा है।
10. प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि यदि उनके विद्यालय के कोई शिक्षक या शिक्षिका क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वो नियमित रूप से प्रशिक्षक का कार्य करने के लिए उपलब्ध हों तथा जब वो प्रशिक्षण के कार्य के लिए बाहर हों तो विद्यालय के अन्य शिक्षक उनकी कक्षाओं में शिक्षण का कार्य तय योजनानुसार करवा रहे हों।

11. प्रधानाचार्य शिक्षकों के प्रश्नों एवं चुनौतियों से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को समय–समय पर लिखित में अवगत कराए।
12. विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया के संचालन में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध में जिला स्तरीय समन्वयन समिति को लिखित में अवगत कराना सुनिश्चित करे।
13. प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि यदि उनके विद्यालय में किसी शिक्षक द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया का श्रेष्ठ संचालन किया जा रहा है एवं बच्चों का शैक्षिक स्तर पाठ्यक्रम में दिए गए कक्षा स्तर के अनुरूप है तो उस शिक्षक के बारे में अधिक से अधिक विद्यालयों को जानकारी हो।

कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए आवश्यक बैठकें एव कार्यशालाएँ–

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक मासिक समीक्षा बैठक (ब्लॉक स्तर) –

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक संस्था प्रधान के साथ साथ अकादमिक /प्रशासनिक दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारियाँ भी इन्हीं के पास होती हैं। शिक्षकों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, इसकी अधिक जानकारी संस्था प्रधान को ही होती है। **प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक** शिक्षकों को बाल केन्द्रित शिक्षण, आनन्ददायी शिक्षण व सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत रूप से समर्थन करें तथा अपने अनुभवों को आपस में शेयर कर एक दूसरों से सीखने का वातावरण बनायें इसके लिए ब्लॉक स्तर पर सभी **प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों** की एक दिवसीय मासिक बैठकों की आवश्यकता होगी। यह बैठक शिक्षक मासिक कार्यशालाओं के अतिरिक्त होगी। इस बैठक का समन्वयन/अध्यक्षता नोडल प्रभारी करेंगे। बैठक में निम्न कार्य/गतिविधियाँ की जानी अपेक्षित हैं–

- सभी संस्था प्रधान अपने अपने विद्यालय में गुणवत्ता से संबंधित की गई गतिविधियाँ व उनके परिणामों को समूह के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे एक दूसरे को आपसी लाभ मिल सके।
- शिक्षण विधा, कक्षा प्रक्रिया व सामग्री निर्माण का प्रस्तुतीकरण करना। आकलन में आ रही कठिनाइयों व उनके निवारण के लिए किये गये प्रयासों की शेयरिंग।
- समर्थन व मॉनिटरिंग में प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों की भूमिका पर चर्चा।
- जिला स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों का नोडल प्रभारी द्वारा प्रस्तुतीकरण।

विषय आधारित मासिक कार्यशाला –वर्तमान में संचालित सीसीई कार्यक्रम के अनुसार ही है।

विद्यालय अवलोकन /मॉनिटरिंग–

विद्यालय उन्नयन, शैक्षिक गुणवत्ता एवं सीसीई में अधिकारियों/दक्ष प्रशिक्षकों से शिक्षकों को लगातार संबलन व मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, जिनसे उनको सही दिशा मिल सके।ऐसे में जिले व राज्य स्तर के अधिकारियों की मॉनिटरिंग करने का दायित्व भी बढ़ जाता है। अतः इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों के लिए विद्यालय अवलोकन अनिवार्य किये गये है। यह अवलोकन निम्न बिन्दुओं के आधार किया जायेगा–

- बच्चों का शैक्षिक स्तर कक्षा/आयु अनुरूप है या नहीं। इसका आकलन किसी टूल्स से किया जा सकता है।
- बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है। मूल्यांकन प्रपत्रों का अवलोकन करके इसको जाँचा जा सकता है।
- बच्चों के समग्र विकास के लिए काम किया जा रहा है या नहीं। बच्चों के साथ कला, खेल आदि गतिविधियाँ करके।
- शैक्षिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। कक्षा का अवलोकन करके जाना जा सकता है।

- मासिक कार्यशाला में शिक्षकों की भागीदारी कितनी है। शिक्षकों से बातचीत करके और दस्तावेजों का अवलोकन करके।
- प्रधानाचार्य द्वारा अवलोकन/संबलन/ दिया जाता है या नहीं। प्रधानाचार्य से बातचीत करके व लिखित टिप्पणी का अध्ययन करके।
- बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव की स्थिति। उपस्थिति रजिष्टर का अवलोकन करके एवं अवलोकित दिवस के दिन उपस्थित बच्चों की संख्या गिनकर।

कार्यक्रम का प्रबंधन

गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम State Initiative for Quality Education के सफल संचालन हेतु राज्य, जिले, ब्लॉक व विद्यालय स्तर पर आवश्यक कार्य/गतिविधियों को सम्पादित करनी होंगी। इन गतिविधियों के निष्पादन में सभी सहभागी संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम की कुछ प्रमुख दायित्व/भूमिकाएँ निश्चित की गई हैं। कार्यक्रम की समीक्षा, मॉनिटरिंग व सम्बल प्रदान करने के लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। जो इस प्रकार है–

परियोजना परिचालन समिति(Programme Steering Committee)

यह समिति कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोच्च निति निर्धारण समिति है। आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में इस समिति का मुख्य कार्य होगा परियोजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी नीतिगत निर्णय लेना तथा आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करना।

राज्य कार्यकारी समूह(State Working Group)

अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समूह (State Working Group) परियोजना की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबन्धन परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) के निर्देशानुसार करेगा। (समिति के सदस्यों की सूची संलग्नक 2)

राज्य शैक्षिक समूह (State Academic Group)

निदेशक, एस आई ई आर टी की अध्यक्षता में गणित राज्य शैक्षिक समूह समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दो के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी दस्तावेज़ों को तैयार करने, प्रमाणित करने एवं परियोजना परिचालन समिति के अनुमोदन के लिए संस्तुति देने के लिए अधिकृत होगा। (समिति के सदस्यों की सूची संलग्नक 2)

जिला कोर ग्रुप (District Core Group)

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया गया है। जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, SIQEप्रोजैक्ट के जिला नोडल प्रभारी होगें। यह ग्रुप जिले में कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि का संचालन , प्रबोधन एवं समर्थन कर समस्त गतिविधियों का समय पर आयोजन, अभिलेख संधारण, डेटा संकलन एवं रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करेगा।

जिला अकादमिक समूह(Distrit Resource Group)

जिला स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा कर उसमें अकादमिक समर्थन देने के लिए जिला अकादमिक समर्थन समूह का गठन किया जायेगा। इसमें डाईट की प्रमुख भूमिका होगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इसके अध्यक्ष होंगे। डाईट प्राचार्य सहित विषयवार संकाय सदस्य, एडीपीसी, केआरपी, नोडल प्रभारी, तकनीकी समर्थन संस्था के प्रतिनिधि, चुने हुए शिक्षक जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस समूह के

सदस्य होंगे। इस समूह का कार्य होगा जिले पर होने वाली विषय आधारित कार्यशालाओं का अवलोकन करना, आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना व कक्षा प्रक्रिया को बेहत्तर बनाने के लिए आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना आदि।

जिला कोर ग्रुप व जिला अकादमिक समूह की बैठकों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश

- इन दोनोंसमितियों की बैठकों का आयोजन माह में एक बार आवश्यक रूप से किया जाये।
- जिला समन्वयन समिति जिले की एक प्रशासनिक इकाई होगी जो कार्यक्रम के संबंधित पक्षों/घटकों का समन्वयन करेगी तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करेगी।
- जिला संदर्भ समूह अकादमिक समस्याओं के समाधान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। शिक्षकों के शिक्षण में आने वाली समस्याओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आदि का आयोजन करना, मूल्यांकन विधा पर कार्य करना, मूल्यांकन प्रपत्रों का निर्माण करना, विद्यालय अवलोकन कर ऑनसाइट सपोर्ट प्रदान करना इस समूह के दायित्व होंगे।
- जिले स्तर पर होने वाली दोनों प्रकार की बैठकों की लिखित सूचनाओं के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के हस्ताक्षरों से, अतिरिक्ति परियोजना समन्वयक रामाशिप कार्यालय से पाँच दिवस पूर्व बैठक के एजेण्डे के साथ जारी किये जायेंगे।
- हर बैठक के मिनिट्स लेना अनिवार्य होगा, जिनको आगामी बैठक से पूर्व उपस्थित सदस्यों/संस्था प्रतिनिधियों को भेज कर, फीडबैक प्राप्त कर आगामी बैठक में अनुमोदन करवा कर संबंधित पक्षों को भिजवाना सुनिश्चित करें। बैठक कार्यवृत्त की एक प्रति रामाशिप जयपुर को आवश्यक रूप से प्रेषित की जाये।
- जिला कोर ग्रुप (DCG)/जिला अकादिमक समूह(DRG)के बैठक में आने से पूर्व प्रत्येक सदस्य को एक–एक आदर्श विद्यालय का अवलोकन कर, उसका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर अध्यक्ष को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि बैठक में शिक्षण की गुणवत्ता/शिक्षण, आकलन के सुधार से संबंधित चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
- जिला संदर्भ समूह अकादमिक समूह है, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी है शिक्षकों को शिक्षण/सीसीई में आने वाली समस्याओं/चुनौतियों में मदद करना। विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभ्यासपत्रक बनाकर उपलब्ध करवाना भी इसी समूह की जिम्मेदारी है। इस समूह में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
- जिले पर सीसीई /गुणवत्ता से संबंधित शिक्षण की योजना बनाने व उसकी क्रियान्विति के लिए यह समिति अधिकृत होगी। अतिरिक्त वित्तीय खर्च की अनुमति रामाशिप के संबंधित शाखा से लेना अनिवार्य होगी।
- जिला स्तरीय दोनों बैठकों का आयोजन जहाँ तक संभव हो डाइट परिसर में ही किया जाये ताकि डाइट प्राचार्य व संकाय सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जासके। जिला संदर्भ समूह की बैठक का आयोजन तो आवश्यक रूप से डाइट में ही किया जाये।

जिला स्तरीय संस्थानों की भूमिका

समन्वित कार्यक्रम State Initiative for Quality Education के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (माध्यमिक), जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को समन्वयन बनाते हुए कार्य करना होगा। प्रत्येक संस्थान की भूमिका इस प्रकार रहेगी:–

जिला शिक्षा कार्यालय (माध्यमिक)

- सभी प्रशासनिक कार्य करना। जैसे दक्ष प्रशिक्षकों/शिक्षको को मासिक बैठकों, प्रशिक्षण व मासिक कार्यशाला में उपस्थिति के लिए आदेश/निर्देश देना तथा उक्त बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक आयोजित करने में प्रशासनिक मदद करना।
- सभी स्कूलों में बच्चे व शिक्षकों का अनुपात शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सुनिश्चित करना।
- आवश्यक सामग्री की उपलब्धतता सुनिश्चित करना।

- स्कूलों की मॉनीटरिंग व संबल प्रदान करना।
- शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करना।

जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

- प्रशिक्षणों व कार्यशालाओं के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना।
- कार्यशाला, प्रशिक्षण व बैठकों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन करना।
- कार्यशाला, प्रशिक्षण व बैठकों का नियोजन व आयोजन करवाना।
- स्कूलों को मॉनीटरिंग व संबलन प्रदान करना
- जिला स्तरीय संस्थानों तथा आदर्श विद्यालयों के मध्य समन्वयन करना।

जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान(डाइट)

- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करना।
- शिक्षक प्रशिक्षणों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- मासिक कार्यशालाओं का अवलोकन उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- अपने सभी प्रशिक्षणों में सीसीई पद्धति को शामिल करना।
- सीसीई पर शोध अध्ययन करके बच्चों के सीखने का विश्लेषण करना।
- अकादमिक नेतृत्व के रूप में काम करना।

समन्वित कार्यक्रम को अकादमिक सहयोग

गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम State Initiative for Quality Education के सफल संचालन में जिला स्तर पर सहयोग देने के लिए यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से एक अकादमिक सदस्य को नियुक्त किया जाएगा जिसे जिला समर्थन अध्येता (District Support Fellow)कहा जाएगा। जिला समर्थन अध्येता कार्यक्रम की जिला समन्वयन समिति एवं जिला सन्दर्भ समूह का सदस्य होगा।

संलग्नक 1 **परियोजना परिचालन समिति**

क्र.स.	नाम / पदाधिकारी	समिति में आवंटित पद
1	आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रतिनिधि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	विशेष आमन्त्रित सदस्य
3	अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	परियोजना समन्वयक
4	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर	सदस्य सचिव
5	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर	परियोजना परामर्शक
6	प्रतिनिधि, यूनिसेफ	परियोजना परामर्शक
7	निदेशक, बोध शिक्षा समिति, कूकस, जयपुर	परियोजना परामर्शक
8	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (रोटेशन से कोई–3)	आमंत्रित सदस्य

2. राज्य कार्यकारी समूह

क्र.स.	नाम / पदाधिकारी	समिति में आवंटित पद
1	अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	अध्यक्ष
2	उपनिदेशक (क्वालिटी एवं प्रशिक्षण), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	सदस्य सचिव
3	उपनिदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	सदस्य
4	मनोनीत प्रतिनिधि, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर	सदस्य
5	प्रतिनिधि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	सदस्य
6	प्रतिनिधि, यूनिसेफ, जयपुर	सदस्य

7	प्रतिनिधि, बोध शिक्षा समिति, कूकस, जयपुर	सदस्य
8	अभिषेक / मैना साही, बी.सी.जी.	विशेष आमन्त्रित सदस्य

3. राज्य शैक्षिक समूह

क्र.स.	नाम / पदाधिकारी	समिति में आवंटित पद
1	निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर	अध्यक्ष
2	उपनिदेशक (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	सदस्य सचिव
3	प्रतिनिधि, यूनिसेफ	सदस्य
4	निदेशक / प्रतिनिधि, बोध शिक्षा समिति, कूकस, जयपुर	सदस्य
5	मनोनीत सदस्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (2 सदस्य रोटेशन से)	आमंत्रित सदस्य

4. जिला समन्वयन समिति (DCC):–

क्र.स.	नाम / पदाधिकारी	समिति में आंवटित पद
1	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम)	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (द्वितीय)	सदस्य
4	प्रधानाचार्य डाइट	सदस्य
5	कार्यक्रम अधिकारी(प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता)रामाशिप	सदस्य
6	जिला अकादमिक समर्थन फैलो (यूनिसेफ एवं बोध प्रतिनिधि)	सदस्य
7	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिप	सदस्य सचिव
8	नोडल प्रभारी प्रत्येक ब्लॉक से एक एक	सदस्य